न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01, बांदीकुई, जिला दौसा

पीठासीन न्यायाधीश : **हनुमान सहाय जाट,** (UID No.RJ00640)

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या : 44/2025

CIS Reg. No. : 44/2025

CNR No. : RJDS060007272025

प्रिया मीना पुत्री स्व. श्री रामखिलाडी मीना उम्र 24 वर्ष निवासी जावली का बाढ बसवा, तहसील बसवा, जिला दौसा।

–वादीया

बनाम

रोशनलाल मीना पुत्र रामदयाल मीना उम्र 28 वर्ष निवासी नांगलबास रैणी, तहसील रैणी, जिला अलवर।

–प्रतिवादी

दावा उद्घोषणा बाबत विवाह विच्छेद

उपस्थितः–

1. श्री सच्चिदानंद मित्रा, विद्वान अधिवक्ता–वादीया की ओर से।

2. प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

//निर्णय// **दिनांक: 16.03.2026**

01– वादीया प्रिया की ओर से प्रतिवादी रोशनलाल के विरूद्ध एक वाद बाबत विवाह विच्छेद इस न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया है कि वादीया एवं प्रतिवादी का विवाह सामाजिक व पारिवारिक रस्मों रिवाज व रूढीवादी प्रथा के अनुसार वादीया के पैतृक निवास स्थान जावली का बाढ, तहसील बसवा में दिनांक 28.03.2015 को सम्पन्न हुआ था। उक्त विवाह के साथ ही वादीया की दोनों बडी बहन निर्मला व मीरा का विवाह भी प्रतिवादी के दोनों बडे भाई हरकेश व लोकेश के साथ सम्पन्न हुआ था । वादीया के विवाह में वादीया के माता पिता ने अपनी हैसियत से भी बढ चढकर दान दहेज देकर राजीखुशी से विदा किया था। जो कि आज तक भी प्रतिवादी व उसके परिवारजन के उपयोग में आ रहा है एवं उन्हीं के

कब्जे में है । विवाह के पश्चात दिनांक 15.04.2016 को मुकलावा कर दिया गया । वादीया विवाह व मुकलावे के समय महज 15–16 वर्ष की थी किंतु सामाजिक रीति–रिवाज अनुसार तथा वादीया के माता–पिता की सहमति होने के कारण वह अपने पति द्वारा की गई घरेलू हिंसा को सहती रही । प्रतिवादी व वादीया के बीच हर समय छोटी–छोटी बातों पर झगडा होने लगा तथा प्रतिवादी वादीया को जान से मारने की धमकी देता था । प्रतिवादी की हद तो तब बढ गई जब उसके दोनों बडे भाई अपने परिवार सहित दिल्ली चले गए एवं वादीया के पिता की दिनांक 25.05.2017 को मृत्यु हो गई । उसके पश्चात प्रतिवादी रोजाना रात में शराब पीकर आता व वादीया से जोर–जोर से गाली–गलौच करता । जिस कारण प्रतिवादी को उसके माता–पिता भी समझाते तो उनसे झगडा करने व मारपीट करने में भी परहेज नहीं करता था । अंत में वादीया को दिनांक 30.05.2019 को अपनी शांतिपूर्ण जिन्दगी जीने के लिए पीहर आना पडा उसके बावजूद भी प्रतिवादी उसे हैरान व परेशान करने के लिए वादीया के पीहर बसवा आ जाता व वादीया से गाली–गलौच करता । करीब 7–8 दिन प्रतिवादी नशे में धुत होकर वादीया के पास बसवा आया व विवाह विच्छेद के लिए कहने लगा । जिस कारण समाज के लोगों ने प्रतिवादी को समझाने का बार–बार प्रयास किया । अंत में यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष अलग–अलग रहें । अंत में दावा बाबत उद्घोषणा विवाह विच्छेद पेश कर पक्षकारान के मध्य हुए विवाह दिनांक 28.03.2015 को विच्छेदित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया ।

02– प्रतिवादी को समन जारी किया गया । बावजूद तामील प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया जिससे उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

03– वादीया की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पीडब्ल्यू–1 प्रिया, पीडब्ल्यू–2 हीरालाल के कथन लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 पंचनामा को प्रदर्शित करवाया गया।

04– बहस अंतिम एकपक्षीय सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

विचारणीय प्रश्न यह है किः–

1. आया वादीया प्रिया व प्रतिवादी रोशनलाल के मध्य रूढिगत विवाह दिनांक 28.03.2015 को सम्पन्न हुआ । उक्त रूढिगत विवाह का विच्छेद रूढिगत तरीके से दिनांक 16.02.2025 को हो चुका है इसलिए वादीया रूढिगत विवाह विच्छेद की घोषणा करवाने की हकदार है?

2. अनुतोष ?

05– वादीया एवं प्रतिवादी के मध्य रूढिगत रीति रिवाज के अनुसार विवाह दिनांक 28.03.2015 को होने के संबंध में वादपत्र में अभिवचन किया गया है कि वादीया व प्रतिवादी का विवाह अपनी जाति के रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 28.03.2015 को अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर वादीया के पैतृक निवास जावली का बाढ में सम्पन्न हुआ था। पक्षकारान स्वयं के रीति रिवाज से शासित है । वादपत्र के उपरोक्त अभिवचनों की ताईद में वादीया की ओर से परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू–1 प्रिया स्वयं वादीया ने कथन किया है कि उसका विवाह रोशनलाल के साथ दिनांक 28.03.2015 को जावली का बाढ तहसील बसवा में अग्नि के समक्ष सात फेरे लेकर सम्पन्न हुआ था । उक्त विवाह मीना जाति के रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। हालांकि विवाह के संबंध में वादीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है परंतु मौखिक साक्ष्य में किए गए कथनों का किसी प्रकार का कोई खण्डन नहीं हुआ है । प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है । प्रतिवादी बावजूद पर्याप्त तामील उपस्थित नहीं आया है जिससे वादीया व प्रतिवादी का विवाह मीना जाति के रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न होने के संबंध में किए गए कथनों पर अविश्वास का कोई कारण प्रकट नहीं होता है । वादीया की मौखिक साक्ष्य से वादीया व प्रतिवादी रोशनलाल का विवाह मीना जाति के रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 28.03.2015 में सम्पन्न होना प्रमाणित पाया जाता है ।

अब यह देखना है कि क्या वादीया व प्रतिवादी के मध्य सम्पन्न विवाह का रूढिगत तरीके से विवाह विच्छेद हो चुका है । इस संबंध में वादीया ने वादपत्र में

अभिवचन किया है कि करीब 7–8 दिन पूर्व प्रतिवादी नशे में धुत होकर वादीया के पास बसवा आया व कहने लगा कि या तो उससे विवाह विच्छेद कर ले अन्यथा वह उसे जान से मार देगा। जिस कारण समाज के लोगों ने प्रतिवादी को समझाने का बार–बार प्रयास किया । अंत में यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष अलग–अलग रहें। मौखिक साक्ष्य में परीक्षित गवाह पीडब्ल्यू–1 प्रिया ने इस संबंध में कथन किया है कि मैंने मेरी बात समाज के पंच पटेलों के सामने रखी कि 6 वर्ष से रोशनलाल ने मुझे छोड रखा है । इस हेतु एक बैठक मीना समाज जावली के बाढ बसवा में रखी गई जिसमें रोशन को भी बुलाया गया किंतु वह फोन पर पंच पटेलों को भी धमकी देने लगा । पंच पटेलों ने एकराय होकर हमारे मध्य हुए विवाह को विघटित करने का फैसला सुनाया जो प्रदर्श–1 है । पंचनामा प्रदर्श–1 को दस्तावेजी साक्ष्य में पेश कर प्रदर्शित कराया गया है तथा पंचनामा के गवाह पीडब्ल्यू–2 हीरालाल को परीक्षित करवाया गया है जिसने स्वयं के सामने समाज के लोगों द्वारा वादीया व प्रतिवादी के मध्य विवाह को विघटित करना बताया है । साथ ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 पंचनामा में यह अंकित किया गया है कि झगडे के कारण को सुना व निर्णय लिया कि रोशन शराब का आदि है तथा शराब पीकर प्रिया से मारपीट करता है इसलिए पंच पटेलों की राय में प्रिया व रोशनलाल को एकदूसरे से अलग करना उचित होगा । दोनों के बीच हुए विवाह को सभी पंच पटेल एकराय से विघटित करते हैं । गवाह पीडब्ल्यू–1 प्रिया व पंचनामा के गवाह पीडब्ल्यू–2 हीरालाल के द्वारा मौखिक साक्ष्य में किए गए कथनों की ताईद पंचनामा प्रदर्श–1 से होती है । अतः वादीया और प्रतिवादी के मध्य सम्पन्न विवाह दिनांक 28.03.2015 का विघटन जातिगत रीति रिवाज के अनुसार पंच पटेलों के द्वारा दिनांक 16.05.2025 को किया जा चुका है । अतः वादीया अपने रूढिगत विवाह दिनांक 28.03.2015 के विच्छेद की घोषणा करवाने की हकदार है लिहाजा यह विचारणीय प्रश्न वादीया के पक्ष में तय किया जाता है ।

<u>अनुतोषः–</u>

06– चूंकि विचारणीय प्रश्न वादीया के पक्ष में रहा है । अतः वादीया की ओर

से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किए जाने योग्य है ।

//आदेश//

07– अतः वादीया प्रिया की ओर से प्रतिवादी रोशनलाल के विरूद्ध प्रस्तुत वाद बाबत विवाह विच्छेद की उदघोषणा स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार डिक्री किया जाता हैः–

(1) वादीया व प्रतिवादी के मध्य सम्पन्न हुए विवाह दिनांक 28.03.2015 को पंचनामा प्रदर्श–1 के अनुसार विघटित करने की घोषणा की जाती है । अब दोनों पति पत्नी नहीं रहेंगे।

(2) खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेंगे।

(3) उपर्युक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
बांदीकुई, जिला–दौसा

08– निर्णय आज दिनांक 16.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय जाट)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1,
बांदीकुई, जिला–दौसा